

कार्यालय आदेश

सर्वश्री गिरजा इंटरप्राइजेज को औद्योगिक प्रांगण, बारुण में कार्यालय पत्रांक 3781/डी दिनांक 13.06.19 द्वारा शेड संख्या ए-1 रकवा 2500 वर्गफीट भूमि का आवंटन Processing of Spices Powder and Paste with Packing के उद्योग स्थापित करने हेतु किया गया।

आपको पत्रांक 4822/डी दिनांक 05.08.19 एवं पत्रांक 2163/डी दिनांक 20.07.20 से आवंटित भू-खण्ड पर पूर्व से अवस्थित परिसम्पत्ति का मूल्यांकन राशि जमा करने हेतु पत्र निर्गत किया गया। पत्रांक 1199/डी दिनांक 09.04.21 से इकाई को अंतिम नोटिस निर्गत किया गया।

इकाई द्वारा अद्यतन मूल्यांकन राशि का भुगतान नहीं किया गया। जो भू-आवंटन पत्र में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के प्रतिकूल है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में भू-आवंटन पत्र में निहित शर्तों, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 1974, बियाडा (संशोधन) अधिनियम 1991 की धारा 6(2)(a), बियाडा संशोधन अधिनियम 2017 तथा अन्य सुसंगत नियमों/प्रावधानों में प्रदत्त शक्ति के तहत सर्वश्री गिरजा इंटरप्राइजेज, औद्योगिक प्रांगण, बारुण को आवंटित की गई शेड संख्या ए-1 रकवा 2500 वर्गफीट भूमि का आवंटन रद्द किया जाता है एवं भूमि मद में जमा की गई राशि जब्त की जाती है।

रद्द किये गये भूमि पर भविष्य में उद्यमी का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

प्रबंध निदेशक के आदेश

दिनांक 13.12.2021

ह0/-

कार्यकारी निदेशक।

दिनांक.....

ज्ञापांक:-.....

प्रतिलिपि:-सर्वश्री गिरजा इंटरप्राइजेज, औद्योगिक प्रांगण, बारुण, सत्वाधिकारी:-श्री रणविजय श्रीवास्तव, पता:-वार्ड नं0-13, नजदीक-पाली मिडिल स्कूल, पाली रोड, डेहरी-ऑन-सोन, थाना-डेहरी, जिला-रोहतास, बिहार-821305, मोबाइल नं0-9110175007 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

कार्यकारी निदेशक।

दिनांक.....15/12/2021

ज्ञापांक.....4255/D

प्रतिलिपि:-लेखा शाखा, बियाडा, पटना/अमीन, बियाडा, पटना/आई0 टी0 शाखा, बियाडा, पटना/ क्षेत्रीय प्रभारी, औद्योगिक प्रांगण, बारुण/प्रबंध निदेशक कोषांग (प्रभारी), बियाडा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

blul
15/12/21
कार्यकारी निदेशक।